झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–19/2016

{परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन मोटरयान निरीक्षक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2016}

मोटरयान निरीक्षक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा– 2016

{DSCCE-2016}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–6239 (अनु0) दिनांक–20.07.2016 के द्वारा अग्रसारित परिवहन विभाग विभाग के पत्रांक–731 दिनांक–27.06.2016 द्वारा संसूचित मोटरयान निरीक्षक के बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवरो के चयन हेतु झारखण्ड राज्य के निवासियों से विहित प्रपत्र में **मोटरयान निरीक्षक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2016** के लिये **ऑन–लाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते है। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट– **www.jssc.in** पर लॉगईन करके समर्पित किया जा सकता है।

2. रिक्तियों का विवरण :–

क्रम सं0	सेवा का नाम / विभाग का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
				कुल रिक्ति	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
					महिला	कम दृष्टि	मूक बाधिर	शारीरिक विकलांग एवं सेरेब्रल पालसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	झारखण्ड अवर मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (परिवहन विभाग)	मोटरयान निरीक्षक	1.अनुसूचित जनजाति	03	00	00	00	00
			2.अनुसूचित जाति	00				
			3.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	01				
			4.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	00				
			योग :–	04	00	00	00	00

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदो पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

4. इस विज्ञापन के साथ खान निरीक्षक एवं मोटरयान निरीक्षक के पदों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भरने के लिए अलग से विज्ञापन संख्या– 18/2016 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 45 है। विज्ञापन संख्या– 18/2016 एवं 19./2016 दोनो के लिए अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनो विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन देते है वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन दोनो विज्ञापनो के लिए एक ही परीक्षा **''डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2016''** आयोजित की जायेगी।

5. कंडिका– 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	मोटरयान निरीक्षक	वेतन बैंड पी0बी0I– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– रू0	(क) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या

		4200	सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी ऐजुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। (ख) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ऑल इंडिया कांउसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन) अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटो मोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा। उच्च तकनिकी योग्यता धारी भी आवेदन के पात्र होंगे।

5.1 अनुभव :– मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वालों के लिए ऑटो मोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के, भारी मालवाहक, यात्री वाहन के मरम्मति कार्य में संलग्न फैक्ट्री एक्ट के तहत निबंधित किसी वृहत ऑटो मोबाईल अभियंत्रण कर्मशाला में मरम्मति, ओभर होलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम 03 वर्षों का व्यवहारिक कार्य अनुभव।

5.2 अन्य :– मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के आवेदकों के पास मोटर साईकिल, भारी मालवाहक एवं भारी यात्री मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा।

6. <u>आयु सीमा</u>:– उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2016 के आधार पर की जायेगी।

1. **न्यूनतम उम्र :–(क) मोटरयान निरीक्षक के पद नियुक्ति हेतु 21 वर्ष ।**
2. **अधिकतम उम्र :–**

(क) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) 37 वर्ष।
(ख) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष

7. <u>आरक्षण</u>:–

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा।

(III) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।
आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक– 31. 03.2013 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(iii) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा करने की स्थिति में संबंधित कॉलम के नीचे एक ड्राप बॉक्स खुलेगा जिसमें आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा उसे निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करेंगे।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट– I एवं II के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

सक्षम स्तर से भिन्न तथा विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न किसी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में तथा जाति प्रमाण पत्रों की गलत संख्या/तिथि उसे जारी करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करने वाले आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा जिसके लिए संबंधित आवेदक ही उत्तरदायी होंगे।

8. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** :– महिला कोटि में क्षैतिज आरक्षण के दावे के समर्थन में झारखण्ड राज्य के महिला अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०–4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 अथवा इसके उपरांत जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

9. **वैसे व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने :–**

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो;

(ग) विवाह के समय दहेज दिया है या लिया है;

10. **आवेदन पत्र को भेजना :–** ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएं एवं Online Application for {**MVIBCE-2016**} पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। खान निरीक्षक एवं मोटरयान निरीक्षक के पदों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया से भरने के लिए अलग से विज्ञापन संख्या– 18/2016 प्रकाशित की गयी है। अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 के अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा होगी कि विज्ञापन संख्या–18/2016 के साथ विज्ञापन संख्या–19/2016 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना विकल्प एक ही आवेदन में दें। कंडिका–9 से संबंधित घोषणा नियुक्ति के समय दिया जाना संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

11. **परीक्षा का स्वरूपः–**

11.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :– संसूचित रिक्ति से अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुणा से अधिक होने अथवा अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15 हजार या अधिक (इनमें से जो अधिक हो) होने पर परीक्षा निम्नलिखित दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

दोनों परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। अभ्यर्थियों की संख्या 15 हजार से कम होने की स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों को यथास्थिति प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। किसी पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर संबंधित अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा :– प्रारम्भिक परीक्षा में दो पत्रों की परीक्षा होगी प्रत्येक पत्र में पूर्णांक 360 होगा तथा प्रश्नों की संख्या 120 होगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा के लिए दो घंटे का

समय निर्धारित है। दोंनों पत्रों की परीक्षा किसी दिवस की प्रथम एवं द्वितीय पाली में आयोजित होगी।

प्रश्न पत्र–1 :– इस पत्र में हिन्दी भाषा ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा ज्ञान से संबंधित 60–60 प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्र–2 :– इसके पत्र में निम्नलिखित विषयों के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे:–

(क) सामान्य अध्ययन	–	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जॉच	–	20 प्रश्न
(ड़) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	–	20 प्रश्न
कुल	–	120 प्रश्न

टिप्पणी:–

(1) प्रश्न पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 30 (तीस) प्रतिशत होगा। न्यूनतम अर्हत्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जायेंगे।

(2) प्रश्न पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हत्तांक नहीं होगा।

(3) प्रश्न पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्तांक 30 (तीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर प्रश्न पत्र–1 एवं 2 में प्राप्त अंको जो जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

11.2 प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	20 प्रश्न
(ii)हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	–	40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	–	20 प्रश्न
(ii) अंग्रजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	–	40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रजी अपठित अनुच्छेद (unseen Passage) तथा अंग्रजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जॉच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक

दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामायिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ख) सामान्य विज्ञान – सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोघ से सम्बन्धित विषय रहेंगे जैसा कि एक सुशिक्षित ब्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित – इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच – इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे । इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्य समृति, विभेद अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट ब्याख्या इत्यादि।

(ड़) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer):– इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी के सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

11.3 मुख्य परीक्षा

(क) मुख्य परीक्षा में अभियांत्रिकी से संबंधित दो पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य अभियांत्रिकी का होगा जिसका पूर्णांक 360 अंक तथा प्रश्नों की संख्या 120 होगी। परीक्षा का समय दो घंटे होगा। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। परीक्षा में प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा।

(ख) प्रश्न पत्र 2 में यांत्रिक तथा ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी विषय की परीक्षा देंगे। प्रश्नों की संख्या 120 होगी जिसका पूर्णांक 360 अंक होगा। परीक्षा का समय 2 घंटे निर्धारित है। परीक्षा में प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा।

यांत्रिक तथा ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में तीन खण्ड (Section) होंगे। Section – A सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा परन्तु Section – B एवं Section – C में से किसी एक Section का चयन करते हुए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थीगण ओ0एम0आर0 सीट में विनिर्दिष्ट स्थान पर Section – B अथवा Section – C के विकल्प में से किसी एक विकल्प से संबंधित गोले को भरेंगे एवं उसी Section से संबंधित 40 प्रश्नों के उत्तर देंगे। Section – A में 80 प्रश्न तथा Section – B एवं Section – C में 40–40 प्रश्न होंगे।

11.4 मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

Paper -1
General Engineering
(For Mechanical Engineering & Automobile Engineering)

(a) Civil Engineering - Building Materials , Estimating , Costing and valuation, Surveying, Soil Mechanics, Hydraulics, Irrigation Engineering, Transportation Engineering, Environmental Engineering.

(b) Structural Engineering- Theory of Structures, Concrete Technology, RCC Design, Steel Design.

(c) Electrical Engineering - Basic concepts, Circuit law, Magnetic circuit, AC fundamentals, Measurement and Measuring Instruments, Electrical Machines, Fractional Kilowatt Motors and single phase induction Motors, Synchronous Machines, Generation, Transmission and Distribution, Estimation and Costing, Utilization and Electrical Energy, Basic Electronics.

(d) Mechanical Engineering - Theory of Machines and Machine Design, Engineering Mechanics and Strength of Materials, Properties of pure substances, 1st. Law of Thermodynamics, 2nd. Law of Thermodynamics, Air standard cycle for IC Engines, IC Engine performance, IC Engine Combustion, IC Engine Cooling & Lubrication, Rankine cycle of System, Boilers, Classification, Specification, Fitting and Accessories, Air Compressor and their cycles, Refrigeration cycles , Principle of Refrigeration Plant, Nozzles and Steam Turbines. Properties & Classification of Fluids, Fluid Statics, Measurement of Fluid Pressure, Fluid Kinematics, Dynamics of ideal fluids, Measurement of Flow rate basic principles, Hydraulic Turbines, Centrifugal Pumps. Classification of steels.

Paper 2

Mechanical Engineering & Automobile Engineering
(Section A is compulsory. Candidate can choose either of the Section B or Section C

Section-A
(80 Questions- 10 Questions from each subject)

1. Engineering Mechanics : Force, Equilibrium, Friction, Centroid and Centre of Gravity, Simple Lifting Machine.

2. Strength of Materials : Stress and strain, Strain energy, Shearing force and bending moment, moment of inertia, Principal planes and stresses, slope and deflection. Direct and bending stresses, Columns, Torsion and thin cylinders.

3. Manufacturing Technology: Forging, Press Working, Welding, Turning, Drilling. Boring, Broaching, Finishing and super finishing, Gear production as well as NC-CNC and non conventional machining methods.

4. Theory of Machines : Kinematics and Dynamics of machines, Role of Friction, Different Power Devices and power transmission equipments such as governors, gyroscopes etc., Applications of Cams, Balancing of Rotating Mass.

5. Hydraulics : Fluids and Their properties. Laminar and Turbulent flow, Bernoulli's Equation, Fluid pressure. Pascal's Law, Fluid Flow and its Measurement, Flow through Pipes.

6. Thermal Engineering : Sources of energy: Conventional and Non conventional, Laws of Thermodynamics, Principle and Working of Heat Engines, Air Compressors. Air Standard Cycles, Stream Boiler, Steam Condenser & Steam Turbine.

7. (a) Automobile Engines : Theory, working and constructional features of C.I. and S.I. engines, Combustion phenomena and various ignition systems, Fuels and Lubricants, Performance and Testing of I.C.Engines, Pollution control.

(b) Auto Electrical System and Autotronics : Automobiles battery, Ignition System, Charging System, Current and Voltage Regulation of Alternator, PLC, Transducers, Sensores, Actuators and their applications in automobiles.

8. Machine Design: Design of simple Machine Element like Cotter Joint, Knuckle Joint, Lever, Shafts, Keys and Couplings, Design of Spring, Bearing and Gears

<u>Section B</u>

(40 Questions - 10 Questions from each subject)

Mechanical Engineering

1. Mechanical Engineering Material: Engineering Material and their Properties, Ferrous, Non-Ferrous Metals and Alloys, Heat Treatment of Steel,, Non-Metallic material, Testing of Material .

2. Hydraulic Machinary: Impact of Jet, Hydraulic turbines, Hydraulic pumps: Centrifugal, Reciprocating and other types, Hydraulic control circuits.

3. Refrigeration and Air Conditioning : Refrigerator and Heat Pump, COP, Vapour compression and vapour absorption refrigeration systems. Refrigerants, Psychrometry, Air conditioning and its applications.

4. Industrial Engineering: Types of production, plant layouts, Process Planning, Work study, Statistical quality control, Metrology.

OR

<u>Section-C</u>

(40 Questions - 10 Questions from each subject)

Automobile Engineering-

1. Automobile Systems: Vehicle layout, Transmission system, Braking systems, ABS, Steering and suspension system. Chasis Frame and Body engineering.

2. Vehicle Maintenance: Performance of vehicles, Engine Electricals and Electronics, Workshop layout, Repairing and servicing, Emission measurements and control techniques, Trouble shooting of Engine and Transmission System.

3. Transport Management: Elements of transport and its operations, Motor Vehicle Act, Motor Vehicles Insurance, Taxation and registration of vehicles, Licensing of Drivers, Estimation and valuation of vehicles, Traffic Signs, Central Motor Vehicle Act - 1988 & Central Motor Vehicle Rules - 1989.

4. Earth Moving Machinery: Tractor dozer, Dragline, Clamshell, Cranes, Loaders, Excavator, Scraper and Grader.

12. **मेधा सूचीः–**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित होने पर आयोग द्वारा विवरणिका की कंडिका 11.1 की टिप्पणी के आलोक में उक्त परीक्षा के दोनो विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मुख्य परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार/पदवार सूची गठित होगी। मुख्य परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

क्रम सं0	पदनाम	कोटि	न्यूनतम अर्हत्तांक
1	2	3	4
		अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)	35 प्रतिशत

(iv) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी एवं मेधा के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

13. **नियुक्तिः–**

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में मोटरयाान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) किसी अभ्यर्थी को सेवा के मोटरयाान निरीक्षक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे झारखण्ड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कत्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(iii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

14. आवेदन पत्र का शुल्कः–

(I) आवेदन पत्र का शुल्क रू0 पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 के आवेदकों के लिए रू0 500 (पांच सौ रूपये) है।

(II) **आवेदन पत्र शुल्क में छूटः–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू0 125 (एक सौ पच्चीस रूपये) है रियायती शुल्क पर online आवेदन पत्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है।

(III) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(IV) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(V) आवेदक आवेदन पत्र में फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गयी खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। उम्मीदवार का फोटो हाल का होना चाहिये। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Submit नहीं हो पायेगा।

15. <u>अन्यान्य</u>

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

   (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

   (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

   (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

   (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

   (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

   (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवष्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो।
इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा शुल्क भुगतान से पहले अपने द्वारा की गई प्रविष्टियों की जाँच वे स्वयं कर ले तथा उसकी शुद्धता से आश्वस्त हो ले। आवेदन पत्र में अशुद्ध/असत्य प्रविष्टि के लिए आवेदक ही स्वयं उत्तरदायी होंगे। आवेदक अपने आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में षांति एवं अनुषासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन आयोग को भेजते समय आवेदन पत्र का क्रमांक अपने पास लिखकर सुरक्षित रखे।

(xvii) आयोग को अपरिहार्य कारणो से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–.........................
...

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ....डाकघर.......................... थाना .... जिला .... राज्य........................... .. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा..................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य................ ....में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

<u>परिशिष्ट (III)</u>

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता. नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

<u>झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री... पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0.......................................थाना..................................... जिला....................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर   प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम